

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना द्वारा आयोजित परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया:

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थी विहित आवेदन के साथ प्रति विषयनिष्ठ उत्तरपुस्तिका **(Subjective Answer Book) 500/-** (पाँच सौ) रुपये तथा प्रति वस्तुनिष्ठ उत्तर-पत्रक **(Objective Answer Sheet) 100/-** (एक सौ) रुपये की दर से शुल्क की राशि सिर्फ Online mode के द्वारा जमा कर संबंधित परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशन के तीन महीने के अंदर विहित आवेदन समिति के **Website** पर **Upload** कर प्राप्त कर सकते हैं।

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश:-

1. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थी विहित आवेदन पत्र में विवरण अंकित कर **Upload** करेंगे।
2. परीक्षार्थी विहित आवेदन के साथ अपने पंजीयन रसीद तथा प्रवेश-पत्र की छाया प्रति स्कैन कर अनिवार्य रूप से समिति के **Website** पर **Upload** करेंगे।
3. वांछित उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए सिर्फ संबंधित परीक्षार्थी ही विहित प्रक्रिया द्वारा आवेदन **Upload** कर सकते हैं। परीक्षार्थी से भिन्न व्यक्ति द्वारा **Upload** किये गये आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।
4. परीक्षार्थी द्वारा पंजीयन रसीद तथा प्रवेश-पत्र की छाया प्रति **Upload** किये बगैर किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थी द्वारा **Upload** किये गये अपूर्ण/दोषपूर्ण आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा और जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।

6. परीक्षार्थी द्वारा प्रत्येक विषयनिष्ठ उत्तरपुस्तिका (Subjective Answer Book) के लिए 500/— (पाँच सौ) रुपये तथा प्रति वस्तुनिष्ठ उत्तर-पत्रक (Objective Answer Sheet) 100/— (एक सौ) रुपये की दर से विहित शुल्क समिति के वेबसाईट पर पेमेंट गेटवे के माध्यम से सिर्फ Online mode (Credit Card / Debit Card /Net Banking) द्वारा जमा कर सकते हैं।
7. परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने के लिए ऑफलाईन (बैंक ड्राफ्ट / पोस्टल ऑर्डर / मनी ऑर्डर / चेक आदि) माध्यम से जमा शुल्क पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. परीक्षार्थी द्वारा विहित शुल्क जमा किये बगैर मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने के लिए **Upload** किये गये आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। संबंधित मूल्यांकन-सह-पुनरीक्षण केन्द्र निदेशक द्वारा आवेदन प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के अन्दर उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति आवेदक के पता पर भेजा जायेगा।
9. समिति के नियंत्रण के बाहर कतिपय कारणवश उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति उपलब्ध कराने में विलम्ब के कारण परीक्षार्थी को कोई नुकसान/क्षति या असुविधा के लिये समिति जिम्मेवार नहीं होगा।
10. परीक्षक/पुनरीक्षक या मूल्यांकन से संबंधित कर्मियों की पहचान की गोपनीयता को अक्षुण्ण रखते हुए मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति आवेदक को दी जायेगी।
11. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थी द्वारा एक बार ही आवेदन **Upload** किया जायेगा। इसके बाद उत्तर-पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने के लिए दोबारा अवसर नहीं दिया जायेगा।
12. परीक्षाफल प्रकाशन के तीन माह के उपरांत परीक्षार्थी द्वारा उत्तर-पुस्तिकाओं की माँग संबंधित आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।
13. विद्यालय परीक्षा समिति विनियमावली 1964 के अध्याय-V के विनियम 20 में मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) का प्रावधान नहीं होने के आलोक में उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन संबंधित किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।